

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 19 जुलाई, 2023

विषय: सरकारी मोटर वाहनों का अनुरक्षण, मरम्मत एवं वाहनों का निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने तथा निस्तारण सम्बन्धी मापदण्ड, अधिकारिता एवं प्रक्रिया।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया पार्श्वीकित शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से समय-समय पर सरकारी मोटर वाहनों के सुरक्षित संचालन एवं राजस्व हित में मितव्ययता के दृष्टिगत शासकीय वाहनों का अनुरक्षण, मरम्मत, निष्प्रयोज्य एवं नीलामी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

1274टी/30-4-33केसी/65 दिनांक 22 मार्च, 1977
17983टी/30-4-24केएम/76 दिनांक 17 जुलाई, 1978
6766टी/30-4-24केएस/76 दिनांक 15 जनवरी, 1981
3817/30-4-24केएस-76 दिनांक 31 अक्टूबर, 1986
663टी/30-4-24केएम/86 दिनांक 18 फरवरी, 1987
54टी0सी0/91-20प्रावि/90 दिनांक 31 जनवरी, 1991
3087टी/30-4-38/90 दिनांक 27 अगस्त, 1992
393टी0सी0/93-20प्रावि/83-93 दिनांक 10 अगस्त, 1993
299/30-4-95-24केएस/86 दिनांक 07 फरवरी, 1995
3982/30-4-95-30जेवी/70 दिनांक 30 नवम्बर, 1995
2747/30-4-97-24केएस/76 दिनांक 04 अक्टूबर, 1997
2755/30-4-97-30जेवी/70 दिनांक 04 अक्टूबर, 1997
94/परि0/2003 दिनांक 07 मई, 2003
1022/सात-1/संख्या/2003 दिनांक 25 सितम्बर, 2003

पार्श्वीकित समस्त शासनादेशों/आदेशों/परिपत्रों में से अधिकतर अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के समय से प्रभावी हैं। वर्तमान में वाहनों की गुणवत्ता में विकास, सड़कों की दशा में सुधार एवं वाहनों के रख-रखाव में होने वाले परिवर्तनों के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस विषय में पूर्व में जारी एवं प्रभावी समस्त पार्श्वीकित शासनादेशों/पत्रों को अतिक्रमित करते हुए सरकारी वाहनों के अनुरक्षण, मरम्मत तथा निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम/निस्तारित किए जाने हेतु निम्नवत् मापदण्ड, अधिकारिता एवं प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

2. सरकारी वाहनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत:

- 2.1 जिन विभागों में मोटर वाहनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु तकनीकी स्टाफ (ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/स्नातक उपाधि धारक) उपलब्ध हैं, वहां पर गाड़ियों के मरम्मत हेतु उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत ऐसे तकनीकी स्टाफ से प्राप्त तकनीकी संस्तुति एवं तदोपरान्त विभागाध्यक्षों द्वारा प्रशासनिक सहमति दिए जाने के पश्चात् विभागीय कार्यशालाओं में उसकी मरम्मत कराई जा सकेगी।
- 2.2 जिन विभागों/कार्यालयों में विभागीय तकनीकी स्टाफ एवं विभागीय कार्यशाला नहीं हैं, ऐसे कार्यालयों में कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर वाहनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकारिता एवं उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत जिसमें टायर, ट्यूब एवं बैटरी शामिल नहीं हैं, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य परिवहन विभाग में तैनात सम्भागीय निरीक्षक की तकनीकी संस्तुति के उपरान्त परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त/अधिकृत गैराज/वाहन निर्माताओं के अधिकृत डीलर के माध्यम से कराये जा सकेंगे, परन्तु यह कि यदि वाहन के मरम्मत पर यान के क्रय मूल्य का 5 प्रतिशत से अधिक व्यय सम्भावित हो तो ऐसी मरम्मत से पूर्व (बजट सीमा के अन्तर्गत) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक होगी।

- 2.3 विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को अनुरक्षण/मरम्मत हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकारिता सीमा तक (बजट सीमा के अन्तर्गत) अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य परिवहन विभाग में तैनात सम्भागीय निरीक्षक की तकनीकी संस्तुति के उपरान्त परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त/अधिकृत गैराज/वाहन निर्माताओं के अधिकृत डीलर के माध्यम से कराये जा सकेंगे, परन्तु यह कि यदि वाहन के मरम्मत पर यान के क्रय मूल्य का 5 प्रतिशत से अधिक व्यय आता है तो ऐसी मरम्मत से पूर्व (बजट सीमा के अन्तर्गत) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक होगी।
स्पष्टीकरण—वाहन निर्माताओं के अधिकृत डीलर का आशय ऐसे मोटरवाहन डीलर, जो परिवहन विभाग द्वारा निर्गत वैध व्यापार प्रमाण पत्र धारक हों।
- 2.4 सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा मरम्मत कराए जाने वाले वाहनों हेतु मानक के अनुरूप स्पेयर पार्ट्स अधिकृत फर्म/उत्पादक अथवा अधिकृत स्टाकिस्ट से ही क्रय किए जायेंगे और नियमानुसार अंकित मूल्य पर देय छूट भी ली जायेगी। जो पार्ट्स प्रतिस्थापित किये जायेंगे, उन्हें निष्प्रयोज्य करते हुए नीलाम अथवा नष्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 2.5 अत्यन्त आकस्मिक परिस्थितियों में, जिन अधिकारियों को राजकीय वाहन अनुमन्य हैं, उन्हें बजट सीमा के अन्तर्गत प्रति गाड़ी एक बार में ₹ 5000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की सीमा तक छोटी-मोटी मरम्मत के लिए किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण/स्वीकृति अथवा अधिकृत गैराज से कार्य कराए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.6 कतिपय विभागों द्वारा परिवहन कार्यालयों को समय-समय पर विभागीय वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में ऐसे मामलों को अग्रसारित किया जाता है, जो शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय अथवा संचालन अथवा आयु सीमा पूरी कर चुके हैं। ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि समय-समय पर विभागीय वाहनों के मरम्मत कराये जाने के समय परिवहन विभाग के तकनीकी अधिकारियों से डी0वी0आई0 (विस्तृत वाहन निरीक्षण प्रपत्र) प्राप्त करते समय उन्हें वाहन के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है। ऐसी स्थिति में, तकनीकी अधिकारी राजकीय कार्य की महत्ता को देखते हुए वाहन की दशा के आधार पर ही निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने हेतु बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा वाहन के निरीक्षण के समय यह ज्ञात कर पाना संभव नहीं हो पाता है कि वाहन निर्धारित मानदण्डों से अधिक संचालित तो नहीं है अथवा उसकी मरम्मत पर अत्यधिक व्यय तो नहीं हो गया है और क्या वाहन की मरम्मत पर पुनः व्यय किया जाना राजकीय हित में मितव्ययी है अथवा वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना राजकीय हित में होगा। अतः शासकीय वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु परिवहन विभाग के अधिकारियों से निरीक्षण कराये जाने के समय वाहन के नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित वाहन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं सम्बन्धित विभाग द्वारा परिवहन विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ताकि उनका परीक्षण कर शासनादेशों के प्राविधानों के अनुरूप निरीक्षण आख्या के साथ-साथ उचित सुझाव भी दिये जा सकें।
- (1) वाहन संख्या
 - (2) वाहन का प्रकार
 - (3) वाहन का क्रय मूल्य
 - (4) वाहन का मॉडल
 - (5) वाहन की पंजीयन तिथि
 - (6) वाहन में प्रयुक्त ईंधन
 - (7) ईंधन का प्रति लीटर औसतन माईलेज
 - (8) वाहन द्वारा तय की गयी दूरी (कि0मी0 में)
- मैदानी मार्ग
 - पर्वतीय मार्ग

(9) प्रस्तावित मरम्मत से पूर्व मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

(10) प्रस्तावित मरम्मत से ठीक पूर्व की गयी मरम्मत का विवरण

- मरम्मत का विवरण
 - व्यय की गयी धनराशि
 - दिनांक
 - गैराज का नाम व पता
 - परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा की गयी निरीक्षण आख्या की प्रति
- (11) प्रस्तावित मरम्मत का विवरण

3. सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना:

3.1 सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य करने हेतु वाहनों की आयु एवं श्रेणी अनुसार निम्नवत् मापदण्ड होंगे:-

क्र०सं०	वाहन की श्रेणी	निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	2	3
1	श्रेणी-1:पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त प्रकार के सरकारी मोटर यान	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 52क में प्राविधान किया गया है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत या राज्य परिवहन उपक्रम या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त निकाय के वाहनों के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा। अतः वाहन के प्रथम पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर समस्त सरकारी वाहन अनिवार्य रूप से स्वतः निष्प्रयोज्य माने जायेंगे।
2	श्रेणी-2: पंजीयन तिथि से 15 वर्ष से कम आयु के वाहन जो निम्नवत् निर्धारित मानक पूर्ण करते हों, उन्हें परिवहन विभाग में कार्यरत संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) की संस्तुति के आधार पर निष्प्रयोज्य किए जाने पर विचार किया जा सकेगा:-	
	i. दो पहिया मोटर यान	(क) 300 सी०सी० से कम इंजन शक्ति के दो पहिया वाहनों को पंजीयन तिथि से 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा 1,00,000.00 (एक लाख) कि०मी० कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 80,000.00 (अस्सी हजार) कि०मी० संचालन पूर्ण करने पर निष्प्रयोज्य किए जाने पर विचार किया जा सकेगा। (ख) 300 सी०सी० से अधिक इंजन शक्ति के दो पहिया वाहनों को पंजीयन तिथि से 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा 1,25,000.00 (एक लाख पच्चीस हजार) कि०मी० कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 1,00,000.00 (एक लाख) कि०मी० संचालन पूर्ण करने पर निष्प्रयोज्य किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
	ii. तीन पहिया मोटर यान	(क) पंजीयन तिथि से 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 1,00,000.00 (एक लाख) कि०मी० का कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 80,000.00 (अस्सी हजार) कि०मी० संचालन पूर्ण कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा। (ख) पंजीयन तिथि से 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) कि०मी० का कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 1,20,000.00 (एक लाख बीस हजार) कि०मी० पूर्ण कर चुके वाहनों

क्र०सं०	वाहन की श्रेणी	निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	2	3
		को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
	iii. 3000 कि०ग्रा० तक सकल यानभार क्षमता वाले मोटर यान	<p>(क) पंजीयन तिथि से 13 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) कि०मी० कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 1,20,000.00 (एक लाख बीस हजार) कि०मी० संचालन पूर्ण कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।</p> <p>(ख) पंजीयन तिथि से 11 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 2,00,000.00 (दो लाख) कि०मी० का कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 1,60,000.00 (एक लाख साठ हजार) कि०मी० संचालन पूर्ण कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।</p> <p>(ग) पंजीयन तिथि से 09 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) कि०मी० का कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 2,00,000.00 (दो लाख) कि०मी० का संचालन पूर्ण कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।</p> <p>(घ) पंजीयन तिथि से 07 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 3,00,000.00 (तीन लाख) कि०मी० का कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 2,40,000.00 (दो लाख चालीस हजार) कि०मी० का संचालन पूर्ण कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।</p>
	iv. 3000 कि०ग्रा० से 7500 कि०ग्रा० तक सकल यान भार क्षमता वाले हल्के मोटर यान	<p>(क) पंजीयन तिथि से 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 2,25,000.00 (दो लाख पच्चीस हजार) कि०मी० का कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 1,80,000.00 (एक लाख अस्सी हजार) कि०मी० का संचालन पूर्ण कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।</p> <p>(ख) पंजीयन तिथि से 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 2,75,000.00 (दो लाख पिचाहत्तर हजार) कि०मी० का कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 2,30,000.00 (दो लाख तीस हजार कि०मी०) का संचालन पूर्ण कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।</p>
	v. 7500 कि०ग्रा० तक सकल यान भार क्षमता से अधिक क्षमता वाले मध्यम/भारी मोटर यान	<p>(क) पंजीयन तिथि से 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) कि०मी० का कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 2,00,000.00 (दो लाख) कि०मी० का संचालन पूर्ण कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।</p> <p>(ख) पंजीयन तिथि से 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा 3,00,000.00 (तीन लाख) कि०मी० का कुल संचालन अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 2,40,000.00 (दो लाख चालीस हजार) कि०मी० का संचालन पूर्ण कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने पर विचार</p>

क्र०सं०	वाहन की श्रेणी	निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	2	3
		किया जा सकेगा।
	vi. जीप ट्रेलर अथवा अन्य गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर	पंजीयन तिथि से 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर निष्प्रयोज्य किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
3	श्रेणी-3: ऐसे शासकीय वाहन जो कि प्रस्तर 3.1 की तालिका के स्तम्भ-03 में निर्धारित मापदण्ड/ मानक को पूर्ण न करते हों, दुर्घटनाग्रस्त होने, तकनीकी खराबी या वाहन का संचालन व मरम्मत मितव्ययी न होने की दशा में अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में	वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा वाहन में तकनीकी खराबी आ जाने अथवा वाहन के संचालन योग्य न रह जाने के आधार पर संभागीय तकनीकी समिति की संस्तुति पर वाहन को निष्प्रयोज्य किये जाने पर विचार किया जा सकेगा। संभागीय तकनीकी समिति में निम्नवत् सदस्य होंगे:- (1) सम्बंधित संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) (2) सम्बंधित उपसंभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) (3) सम्बंधित उपसंभाग के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)

3.2 अधिकारिता/सक्षम प्राधिकारी :-

सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य करने हेतु अधिकारिता निम्नवत् होगी:-

क्र०सं०	वाहन की श्रेणी	निष्प्रयोज्य किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	2	3
1	श्रेणी-1:पंजीयन तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त प्रकार के शासकीय वाहन	कार्यालयाध्यक्ष।
2	श्रेणी-2: पंजीयन तिथि से 15 वर्ष से कम आयु के वाहन, जो निर्धारित मानक पूर्ण करते हों।	विभागाध्यक्ष कार्यालय/मुख्यालय में प्रयुक्त होने वाले वाहनों हेतु विभागाध्यक्ष तथा मण्डल एवं जिला स्तर पर प्रयुक्त होने वाले वाहनों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी।
3	श्रेणी-3: पंजीयन तिथि से 15 वर्ष से कम आयु के ऐसे शासकीय वाहन, जो निर्धारित मापदण्ड/मानक को पूर्ण न करते हों, किन्तु दुर्घटनाग्रस्त होने, तकनीकी खराबी या वाहन का संचालन व मरम्मत मितव्ययी न होने की दशा में अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में।	परिवहन आयुक्त

3.3 निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(1) श्रेणी-1 (पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहन)

पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त प्रकार के शासकीय वाहनों को कार्यालयाध्यक्ष के स्तर से निष्प्रयोज्य घोषित किया जाएगा। वाहन के नियन्त्रक अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त प्रकार के शासकीय वाहनों को 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने के 01 माह के भीतर निष्प्रयोज्य घोषित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र (संलग्नक-1) निर्गत करेगा एवं उसकी सूचना परिवहन विभाग के सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी को देगा।

- (2) श्रेणी-2 (पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष से कम आयु के वाहन जो निर्धारित मानक पूर्ण करते हों)
- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी, वाहन को निष्प्रयोज्य करने के निमित्त, परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) से वाहन का निरीक्षण कराकर उसकी संस्तुति सहित युक्ति युक्त प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी यथा स्थिति सम्बन्धित जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
 - निष्प्रयोज्य करने हेतु सक्षम प्राधिकारी यथा स्थिति जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रकरण में निर्णय लिया जाएगा। यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वाहन को निष्प्रयोज्य किया जाना राजकीय हित में है तो वह निष्प्रयोज्य किए जाने सम्बन्धी निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र (संलग्नक-2) निर्गत करेगा एवं उसकी सूचना परिवहन विभाग के संबंधित पंजीयन अधिकारी को देगा।
- (3) श्रेणी-3 (पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष से कम आयु के वाहन, जो निर्धारित मापदण्ड/मानक को पूर्ण न करते हों)
- ऐसे वाहन, जो निर्धारित मापदण्ड/मानक पूर्ण नहीं करते हैं परन्तु वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा किसी प्रकार की तकनीकी खराबी होने अथवा वाहन का संचालन व मरम्मत मितव्ययी न होने की दशा में अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में उन्हें निष्प्रयोज्य किया जाना राजकीय हित में आवश्यक हो, को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी द्वारा निष्प्रयोज्य किए जाने हेतु युक्ति युक्त प्रस्ताव, संभागीय तकनीकी समिति की आख्या सहित परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाएगा।
 - परिवहन आयुक्त को प्रस्ताव प्रेषित करते समय निम्नलिखित सूचनाएं भी संलग्न की जायेगी:-
 - सम्भागीय तकनीकी समिति द्वारा निर्गत डी0वी0आई0 रिपोर्ट (विस्तृत वाहन निरीक्षण प्रपत्र) एवं संस्तुति।
 - वाहन से सम्बन्धित निष्प्रयोज्य किए जाने हेतु सूचना निर्धारित प्रपत्र में (संलग्नक-3)
 - दुर्घटनाग्रस्त वाहन के प्रकरण में चारों ओर से खींचे गये फोटो भी संलग्न किए जाएं।
 - परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। यदि परिवहन आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि वाहन को निष्प्रयोज्य किया जाना राजकीय हित में है तो वाहन को निष्प्रयोज्य किए जाने सम्बन्धी निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र (संलग्नक-4) निर्गत किया जायेगा।
- (4) उपरोक्त प्रस्तर-(1) से (3) में दिए गए निर्देशानुसार वाहन का निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र जारी करने के साथ सक्षम प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष यह प्रमाण भी अंकित करेंगे कि वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी है।
- (5) वाहन के निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र में न्यूनतम आरक्षित मूल्य का उल्लेख भी होगा। न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिले में स्थित परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) की सहायता प्राप्त करेंगे।

(6) वाहन का मूल्यांकन/आरक्षित मूल्य/विचलन प्रतिशत (Tolerance Percentage) निर्धारण में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-एस-31037/1/ 2022-एमएफएच, दिनांक 23 जनवरी, 2023 (संलग्नक-5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। सुलभ सन्दर्भ हेतु इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त परिपत्र में निष्प्रयोज्य घोषित शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् है:-

- A. निष्प्रयोज्य किए जा चुके शासकीय वाहनों का आरक्षित मूल्य वाहन के Ferrous Scrap Component के मूल्य का 90 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
- B. निष्प्रयोज्य वाहनों में Ferrous Scrap Component का प्रतिशत मानक सूत्र के अन्तर्गत ऐसे निष्प्रयोज्य वाहन के Kerb Weight के 65 प्रतिशत के बराबर होगा।
- C. आरक्षित मूल्य निर्धारित करते समय Ferrous Scrap Component का मूल्य विगत 03 माह में स्टील स्क्रेप के औसत मूल्य के बराबर लिया जाएगा।
- D. आरक्षित मूल्य निर्धारण हेतु उपरोक्त मानक सूत्र मात्र सूचनात्मक/विचारात्मक है। विक्रेता विभाग द्वारा बाजार प्रतिस्पर्धा, विक्रय किये जाने वाले माल एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर आरक्षित मूल्य में संशोधन किया जा सकता है।
- E. इस प्रकार निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य केवल नीलामी को प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रारम्भिक मूल्य होगा।
- F. इसके अतिरिक्त 280 से अधिक मॉडल की 10 वर्ष पुराने वाहनों का Kerb Weight तथा Ferrous Scrap Component के साथ सूची उक्त परिपत्र के साथ संलग्न की गयी है। (संलग्नक-6)

उदाहरण-

यदि किसी वाहन का Kerb Weight 1692 किग्रा0 है तो उसमें Ferrous Scrap Component की मात्रा Kerb Weight का 65 प्रतिशत अर्थात् $(1692 \times 65) \div 100 = 1100$ किग्रा0 होगी। यदि विगत 03 माह में स्टील स्क्रेप का औसत मूल्य ₹40.00 प्रति किग्रा0 है, तो Ferrous Scrap Component का मूल्य $1100 \times 40 = ₹44000.00$ और वाहन का न्यूनतम आरक्षित मूल्य 44000.00 का 90 प्रतिशत अर्थात् $(44000 \times 90) \div 100 = ₹39600.00$ होगा।

4. निष्प्रयोज्य घोषित सरकारी शासकीय वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया :-
 - 4.1 उपरोक्तानुसार वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने के उपरान्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन की मरम्मत व ईंधन पर कोई व्यय न किया जाए और वाहन की नीलामी 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से सम्पन्न करा ली जाए।
 - 4.2 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय मैमोरन्डम संख्या-आरटी-23013/8/2022-टी, दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 (संलग्नक-7) के अन्तर्गत शासकीय वाहनों को स्क्रेप के रूप में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत स्थापित मिनी रत्न कम्पनी/पीएसयू Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) द्वारा विकसित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था दी गई है। अतः उपरोक्तानुसार निष्प्रयोज्य घोषित सभी प्रकार के वाहनों की नीलामी अनिवार्य रूप से स्क्रेप के रूप में उक्त पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा एम0एस0टी0सी0, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली से

सम्पर्क किया जाएगा। एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित ई-नीलामी तंत्र (Mechanism for E-auction) का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

- (1) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभागों द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के विवरण (वाहन का प्रकार, मॉडल, आयु, फोटोग्राफ इत्यादि) एम0एस0टी0सी0 के साथ साझा किए जाएंगे।
- (2) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अथवा एम0सी0टी0सी0 द्वारा सूचीबद्ध मूल्यांकन कर्ताओं के माध्यम से वाहन का न्यूनतम आरक्षित मूल्य एवं सहनशीलता प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
- (3) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभागों द्वारा अथवा एम0एस0टी0सी0 द्वारा ई-नीलामी शुरू करने के पहले उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य एवं सहनशीलता प्रतिशत एमएसटीसी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
- (4) एम0एस0टी0सी0 द्वारा वाहन के विवरण/स्थान आदि के आधार पर ई-नीलामी हेतु लॉट तैयार किया जाएगा और ई-नीलामी के लिए एक सूची विकसित की जाएगी। इसके उपरान्त ई-नीलामी के आरम्भ की तिथि, वाहन की सूची, स्थान, स्वामित्व आदि के विवरण वाली नीलामी अधिसूचना सभी Registered Vehicle Scrapping Facility (आरवीएसएफ) को भेजी जायेगी। उक्त नीलामी के फलस्वरूप निष्प्रयोज्य वाहनों का निस्तारण मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्कैपिंग सुविधा के कार्य) नियम 2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- (5) एम0एस0टी0सी0 पोर्टल पर ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।
- (6) ई-नीलामी लॉट के उचित मूल्य का आंकलन करने के लिए सम्भावित बोलीदाताओं को वाहनों का स्थलीय निरीक्षण करने की अनुमति होगी। यह संभावना है कि इच्छुक आरवीएसएफ के पास इतनी क्षमता न हो कि वह कम समय में सभी निष्प्रयोज्य वाहनों का स्थल निरीक्षण कर सके। अतः भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फोटोग्राफ्स को नीलामी सूची में शामिल किया जा सकता है।
- (7) इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी में प्रतिभाग करने के लिए एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित निविदा प्रतिभूति (ई0एम0डी0) या स्थाई प्रतिभूति जमा करना होगा। निविदा प्रतिभूति (ई0एम0डी0) या स्थाई सुरक्षा प्रतिभूति जमा करने के बाद इच्छुक बोलीदाता एम0एस0टी0सी0 पोर्टल पर बोली लगा सकेंगे।
- (8) एम0एस0टी0सी0 के नियमानुसार ई-नीलामी संचालित की जाएगी। यदि उच्चतम बोली न्यूनतम आरक्षित मूल्य से अधिक अथवा सहनशीलता प्रतिशत के भीतर प्राप्त होती है तो इसे एक सफल नीलामी माना जाएगा परन्तु यदि उच्चतम बोली न्यूनतम आरक्षित मूल्य अथवा सहनशीलता प्रतिशत से कम प्राप्त होती है तो ऐसी निविदा को निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर न्यूनतम आरक्षित मूल्य को संशोधित करते हुए पुनः ई-नीलामी की अपेक्षा की जाएगी।
- (9) एम0एस0टी0सी0 द्वारा सफल नीलामी की ऑटो जेनरेटड (Auto generated) सूचना उच्चतम बोलीदाता एवं विक्रेता को प्रेषित की जाएगी।
- (10) तदपश्चात कैटेलॉग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम बोलीदाता/आरवीएसएफ द्वारा बोली की धनराशि आरटीजीएस/एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से एम0एस0टी0सी0 को अन्तरित किया जाएगा। धनराशि

का अन्तरण प्रमाणित होने के पश्चात एम0एस0टी0सी0 द्वारा अन्तरण के सम्बन्ध में डिजिटली रूप से हस्ताक्षरित विक्रय/डिलीवरी आदेश जारी किया जाएगा।

- (11) एम0एस0टी0सी0 द्वारा बोली की धनराशि सम्बन्धित प्राधिकारी/विभाग/राज्य सरकार को Delivery Order सहित 3 से 5 कार्य दिवसों में अन्तरित की जाएगी।
- (12) एम0एस0टी0सी0 द्वारा निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी हेतु विकसित ई-प्लेटफॉर्म की सेवाओं के सापेक्ष निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी उपरान्त आर0वी0एस0एफ0 से वाहन के विक्रय मूल्य के 03 प्रतिशत की दर से अन्तरण शुल्क लिया जाएगा। उक्त शुल्क का उद्ग्रहण सम्बन्धित सफल आर0वी0एस0एफ0 से किया जाना एम0एस0टी0सी0 का उत्तरदायित्व होगा।
- (13) अधिसूचना संख्या-653(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के नियम 10 के उप नियम (1) एवं अधिसूचना संख्या-695(अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम बोलीदाता (आरवीएसएफ) द्वारा वाहन के निस्तारण हेतु प्रस्तावित वाहनों का उठान किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर Vahan RVSF के माध्यम से एक Certificate of Deposit उपलब्ध कराया जाएगा।
- (14) निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही अधिकृत रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा द्वारा अधिसूचना संख्या-653(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के नियम 10 के उप नियम (1) एवं अधिसूचना संख्या-695(अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- (15) एमएसटीसी पोर्टल पर विभागों के पंजीकरण एवं नीलामी के कार्यप्रवाह का विवरण संलग्नक-8 पर दिया गया है।
- (16) उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया में केवल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-653(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के अन्तर्गत स्थापित एवं पंजीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा को ही प्रतिभाग किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- (17) उपरोक्तानुसार नीलामी हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निष्प्रयोज्य घोषित यान का निपटान/निस्तारण केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 52 क में दी गई व्यवस्था के आधार पर संशोधित केन्द्रीय मोटर यान (रजिस्ट्रीकरण और यान स्क्रेपिंग सुविधा सम्बन्धी कार्य) नियम 2021 के अनुसार स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- (18) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-आरटी- 23013/8/2022-टी, दिनांक 17 दिसम्बर 2022 के साथ संलग्नक में दी गयी व्यवस्थानुसार रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा संचालक द्वारा वाहन एवं वाहन के पंजीकरण का निरस्तीकरण अधिसूचना संख्या-653(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के नियम 10 के उप नियम (1) में वर्णित प्रक्रिया तथा अधिसूचना संख्या-695(अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2022 के द्वारा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। सुलभ संदर्भ हेतु सम्बन्धित अंश निम्नवत है:-

"अधिसूचना संख्या-653(अ), दिनांक 23-09-2021 के नियम 10 के उपनियम (1) एवं अधिसूचना संख्या-698(अ), दिनांक 13-09-2022 में दी गई

व्यवस्था अनुसार निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों का पंजीयन चिन्ह निरस्त कराने की कार्यवाही रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा द्वारा की जाएगी।'

5. पूर्णतः नष्ट वाहनों के अवशेष ढाचों के निस्तारण की प्रक्रिया:-
कतिपय विभागों के कार्यालयों में पूर्णतः नष्ट हो चुके वाहनों के अवशेष रखे हुए हो सकते हैं। ऐसे वाहन अत्यधिक पुराने होने के कारण उनके पंजीयन/संचालन से सम्बन्धित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं होते हैं। अभिलेखों के आभाव में एवं वाहन की पहचान स्पष्ट न होने तथा वाहन के मूल स्वरूप के नष्ट होने के कारण ऐसे वाहनों का निष्प्रयोज्य/नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में पूर्णतः नष्ट हो चुके वाहन, जिनकी पहचान संभव नहीं है, के अवशेष ढाचे एक ओर शासकीय कार्यालयों का अनावश्यक रूप से स्थान घेरते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग/कार्यालयों की स्वच्छता को भी प्रभावित करने के साथ-साथ वित्तीय हानि भी धारित करते हैं। ऐसे पूर्णतः नष्ट हो चुके वाहनों के अवशेष ढाचों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-
- 5.1 सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष ऐसे अवशेष ढाचों के सम्बन्ध में यथा सम्भव उपलब्ध अभिलेखों/सूचना के साथ सम्बन्धित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में वाहन के निपटान/ निस्तारण हेतु आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किए जायेंगे:-
- (1) वाहन की चारों दिशाओं से खींची गई स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ्स।
 - (2) सम्बन्धित वाहन के चैसिस (जैसी भी स्थिति में हो) का स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ।
 - (3) वाहन की पंजीयन पुस्तिका, लॉग बुक अथवा वाहन से सम्बन्धित अन्य कोई अभिलेख (यदि उपलब्ध हों)
- 5.2 सम्बन्धित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित सम्भाग/उपसम्भाग के सम्भागीय निरीक्षक से वाहन का निरीक्षण कराया जाएगा।
- 5.3 उपरोक्तानुसार निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण आख्या 10 कार्य दिवस के भीतर सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- 5.4 तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर वाहन के निस्तारण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय निम्नांकित समिति द्वारा लिया जायेगा:-

क्र०सं०	अधिकारी	
1	सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित वाहन का नियन्त्रक अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष	सदस्य
3	सम्बन्धित वाहन के नियन्त्रक प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित वित्त सेवा का अधिकारी	सदस्य

- 5.5 उपरोक्त समिति द्वारा उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर ऐसे वाहनों के निपटान/निस्तारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।
- 5.6 उपरोक्त समिति द्वारा वाहन का निपटान किए जाने सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी के द्वारा 03 माह (तीन माह) के भीतर ऐसे वाहनों की नीलामी यथा प्रक्रिया स्कैप के रूप में की जाएगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:-यथोपरि।

Signed by Arvind Singh
Hyanki
Date: 19/07/2023 16:43:09
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

/139071/2023

संख्या 139071/IX-1/2023-396(परि0)/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
6. वित्त/व्यय नियन्त्रक अनुभाग।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
9. समस्त सम्भागीय/सहायक परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

श्रेणी-1 (पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों के सम्बन्ध में निष्प्रयोज्यता प्रमाणपत्र का प्रपत्र-1

कार्यालय का नाम:- _____

संख्या:- _____

दिनांक:- _____

कार्यालयादेश

प्रमाणित किया जाता है कि इस विभाग की राजकीय वाहन संख्या:-..... मेक मॉडल:-..... पंजीयन तिथि इंजन संख्या:-..... चेसिस संख्या:-..... जो पेट्रोल/डीजल/बैटरी/सीएनजी/एलपीजी चालित है, जिसनेकिमी० की दूरी तय कर ली है, का पंजीयन प्रमाणपत्र केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 52क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक के उपरान्त वैध नहीं रह गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में वाहन संख्या:-.....को दिनांकसे निष्प्रयोज्य घोषित किया जाता है।

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

संख्या:- _____ समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड।

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

श्रेणी-2 (पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष से कम आयु के वाहन जो निर्धारित मानक पूर्ण करते हैं, के सम्बन्ध में निष्प्रयोज्यता प्रमाणपत्र का प्रपत्र-2

कार्यालय का नाम:- _____

संख्या:- _____

दिनांक:- _____

कार्यालयादेश

प्रमाणित किया जाता है कि इस विभाग की राजकीय वाहन संख्या:-.....मेक मॉडल:-..... पंजीयन तिथि इंजन संख्या:-..... चेसिस संख्या:-..... जो पेट्रोल/डीजल/बैटरी/सीएनजी/एलपीजी चालित है, जिसनेकिमी० की दूरी तय कर ली है और वाहन की मरम्मत पर ₹.....की धनराशि व्यय की जा चुकी है जो वाहन के क्रय मूल्य ₹.....से अधिक है/नहीं है। वाहन की मरम्मत पर अब लगभग ₹.....की धनराशि व्यय होने का अनुमान है, जो मितव्ययी नहीं होगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में वाहन संख्या:.....को शासनादेश संख्या :..... दिनांकके अनुसार " वाहन की आयुवर्ष तथा संचालन किमी० से अधिक होने के आधार पर दिनांकसे निष्प्रयोज्य घोषित किया जाता है। वर्तमान में वाहन की दशा एवं बाजार मूल्य को दृष्टि में रखते हुए वाहन का न्यूनतम मूल्य ₹.....निर्धारित किया जाता है तथा इस तिथि के उपरान्त वाहन की मरम्मत एवं ईंधन पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जाएगी।

वाहन की नीलामी/निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:- दिनांक के अनुसार समस्त कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

संख्या:- समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड।

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

श्रेणी-3 में आच्छादित वाहनों के सम्बन्ध में सूचना प्रेषण हेतु प्रपत्र-3

क्र.सं.	विवरण	आख्या
1	वाहन का मेक मॉडल वर्ष	
2	वाहन पेट्रोल/डीजल चालित है।	
3	वाहन का क्रय मूल्य दिनांक सहित।	
4	वाहन को प्रयोग में लाने की तिथि	
5	वाहन उपयोग में लाये जाने के बाद मरम्मत पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण तथा वाहन द्वारा तय किये गये कार्यवार कि०मी०	
6	बॉडी मरम्मत का प्रकार एवं उसकी समयावधि	
7	वाहन का इंजन ओवरहाल किन-किन वर्षों में कराया गया तथा प्रत्येक इंजन ओवर हाल के बाद तय की गयी दूरी कि०मी० में	
8	वाहन के इंजन की अन्तिम ओवरहाल के बाद किये गये व्यय का ब्यौरा तथा तय की गयी दूरी (कि०मी० में)	
9	वाहन की वर्तमान दशा में सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की निरीक्षण रिपोर्ट डी०वी०आई० फार्म की मूल प्रति	
10	वाहन की मरम्मत पर होने वाला अनुमानित व्यय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त कर सूचित करे	
11	वाहन की मरम्मत पर कुल व्यय की गयी धनराशि	
12	वाहन किस तिथि एवं वर्ष में निष्प्रयोज्य है	
13	वाहन को कुल कितने वर्ष एवं कुल कितने कि०मी० मैदानी मार्गों पर चलाया गया	
14	वाहन को कुल कितने वर्ष एवं कुल कितने कि०मी० पहाड़ी मार्गों पर चलाया गया	
15	वाहन द्वारा कुल तय की गयी दूरी	
16	वाहन जब निष्क्रिय है उसके पूर्व के तीन वर्षों की मरम्मत का वर्षवार व्यय विवरण तथा वर्षवार कि०मी०	
17	वाहन की मरम्मत शासनादेशानुसार करायी गयी है अथवा नहीं	
18	वाहन पूर्व में निष्प्रयोज्य घोषित तो नहीं किया गया है	
19	वाहन का नीलामी मूल्य, डी०वी०आई० रिपोर्ट तथा समिति की संस्तुति के अनुसार	
20	सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति कि वाहन की मरम्मत पर आने वाले व्यय की दृष्टि से मरम्मत कराया जाना मितव्ययी नहीं होगा	
21	उन विशिष्ट एवं आपवादिक कारणों का स्पष्ट उल्लेख जिनके आधार पर मापदण्ड पूर्ण न होने पर भी वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना राजकीय हित में है	
22	आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेंगे कि उनका पूर्णतः समाधान हो चुका है कि विशिष्ट अपवादिक कारणों (उल्लेख करते हुए) से सम्बन्धित वाहन का निष्प्रयोज्य किया जाना राजकीय हित में है	

श्रेणी-3 (पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष से कम आयु के वाहन जो निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करते हैं), के सम्बन्ध में निष्प्रयोज्यता प्रमाणपत्र का प्रपत्र-4

कार्यालय का नाम:- _____

संख्या:- _____

दिनांक:- _____

कार्यालयादेश

प्रमाणित किया जाता है किविभाग की राजकीय वाहन संख्या :-.....मेक मॉडल:-..... पंजीयन तिथि इंजन संख्या :-..... चेसिस संख्या:-..... जो पेट्रोल/डीजल/बैटरी/सीएनजी/एलपीजी चालित है, जिसनेकिमी० की दूरी तय कर ली है और वाहन की मरम्मत पर ₹.....की धनराशि व्यय की जा चुकी है। सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वाहन की मरम्मत पर अब लगभग ₹.....की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। यद्यपि प्रश्नगत वाहन शासनादेश संख्या दिनांक के अन्तर्गत विहित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करता है, परन्तु विभाग द्वारा बताई गयी विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:..... दिनांकके अनुसार निष्प्रयोज्य घोषित किया जाता है। इस आदेश के जारी होने की तिथि के उपरान्त वाहन की मरम्मत एवं ईंधन पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जाएगी।

वाहन की नीलामी/निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: दिनांक.....के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

संख्या:- _____ समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5- (सम्बन्धित अधिकारी)

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

F.No. S-31037/1/2022-MFH
Government of India
Ministry of Steel
MF Division

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated: 23rd January, 2023

OFFICE MEMORANDUM


Sub: Determination of Reserve Price of Government Vehicles older than 15 years and Service Charges to be levied by MSTC for auction of these vehicles-reg.

The undersigned to directed to state that the Cabinet Secretary chaired a meeting on 24-12-2022 to review Vehicle Scrapping Policy, wherein Ministry of Steel has been entrusted to resolve the issues of Reserve Price fixation and the charges levied by MSTC. Accordingly, a committee was constituted under Additional Secretary, Ministry of Steel to determine Reserve Price of all types of the Vehicles. Meeting of the Committee was held on 04-01-23. The Members of the Committee observed that every model of the vehicle has to be taken as a separate unit, as the vehicle may be in different condition and therefore, it would be pragmatic to fix the Reserve Price of each vehicle based on a formula. The formula suggested to arrive at the Reserve Price is as under:

- i. Reserve Price for End-of-Life Vehicles would be determined as 90% of the value of ferrous scrap component of the vehicle.
- ii. The standard formula to derive the percentage of ferrous scrap in End-of-Life Vehicles could be taken at 65% of the Kerb weight of the vehicle. A copy of more than 280 models of more than 10 years old vehicles with their Kerb Weight and ferrous scrap component is enclosed.
- iii. Rate of ferrous scrap can be taken as moving average of price of steel scrap during the last three months at the time of deciding Reserve Price of the ELV.

The formula shall only be indicative/suggestive of the Reserve Price and the sellers could improvise on it based on the circumstances, products being sold, market competition expected and so on. Further, the Reserve Price shall only be the starting point for the auction process carried out on the portal. The above formula is based on a 'Rule of Thumb' calculation to cover vehicles that could be in varied conditions after a period of 15 years of working or other vehicles deemed to be fit for condemnation.

2. Regarding Service Charges to be levied by MSTC for auction of ELVs on the platform developed by them, it is stated that the Company has agreed to exempt service charge for Government vehicles sold up to March, 2023 using their e-auction platform. From April, 2023 onwards, MSTC will collect nominal transaction fee from the successful RVSFs @3% of the sale value, which shall be the responsibility of MSTC to collect it from the RVSFs and the Department concerned shall not be involved in the process.


(C. Lakshmi Srinagesh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23061601

Encl: as above.

All Ministries/Deptts. of Govt. of India/NITI

Copy to: MoRTH to issue similar circular to all concerned

इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या एस-31037/1/2022-एमएफएच, दिनांक 23 जनवरी, 2023 के साथ संलग्न 287 मॉडल की वाहनों का Kerb Weight एवं अनुमानित Ferrous/Steel Weight की सूची

Vehicle Models sold in Year 2010 reaching End Of Life				
S. No.	Manufacturer	Vehicle Model / Variant	Kerb Weight	Approximate Ferrous/Steel weight
1	Tata Motors	Nano	596	387
2	Tata Motors	Nano MPFI 01	596	388
3	Tata Motors	Nano MPFI 03	596	388
4	Maruti Suzuki	Maruti 800	665	432
5	Maruti Suzuki	M 800 Duo	705	458
6	Maruti Suzuki	Zen Estilo	735	478
7	Maruti Suzuki	Alto	735	478
8	Maruti Suzuki	Alto	735	478
9	Maruti Suzuki	Alto K10	735	478
10	Maruti Suzuki	Omni	800	520
11	Maruti Suzuki	Omni	800	520
12	Maruti Suzuki	Omni LPG	810	527
13	Maruti Suzuki	Alto CNG	811	527
14	Tata Motors	Ace Magic	819	532
15	Maruti Suzuki	Wagon R	830	540
16	General Motors	Spark 1L	840	546
17	General Motors	Spark 1L	840	546
18	MSIL	Wagon R AT	840	546
19	MSIL	New Zen Estilo	865	562
20	MSIL	New Zen Estilo Feb10	865	562
21	MSIL	New Zen Estilo	875	569
22	MSIL	Wagon R Duo	885	575
23	MSIL	New Wagon R	885	575
24	MSIL	A Star BSIV MT	885	575
25	MSIL	A Star BSIII MT	885	575
26	Hyundai Motors	Santro	886	576
27	General Motors	Spark 1L LPG	887	577
28	General Motors	Spark 1L LPG	887	577
29	Hyundai Motors	i10 1.1	895	582
30	Maruti Suzuki	A Star AT	895	582
31	Nissan	MICRA	905	588
32	Hyundai Motors	Santro Eco	915	595
33	Hyundai Motors	i10 1.2	925	601
34	Maruti Suzuki	Eeco	948	616
35	Hyundai Motors	i10 1.2 A/T	960	624
36	Maruti Suzuki	New Wagon R	960	624
37	General Motors	Beat	965	627
38	Maruti Suzuki	Gypsy	985	640
39	Maruti Suzuki	Gypsy	985	640
40	Maruti Suzuki	Versa	985	640

41	Ford India	Ikon	995	647
42	Tata Motors	Ace Magic	1000	650
43	Tata Motors	Indica Diesel	1001	651
44	Tata Motors	Indica Diesel	1003	652
45	Tata Motors	Indica Xeta	1004	653
46	Tata Motors	Indica Xeta	1004	653
47	Ford India	Ikon	1006	654
48	Maruti Suzuki	Swift	1010	657
49	Maruti Suzuki	Swift	1010	657
50	Maruti Suzuki	Ritz Petrol	1030	670
51	Hyundai Motors	i20 1.2	1033	671
52	Maruti Suzuki	Dzire	1035	673
53	Maruti Suzuki	Dzire	1035	673
54	Tata Motors	Vista Safire	1035	673
55	Tata Motors	Vista Safire	1035	673
56	Maruti Suzuki	Eeco	1045	679
57	Volkswagen India	Polo 1.2 MPI	1045	679
58	Fiat India	500 Pop	1055	686
59	Honda Sael Cars	Jazz	1055	686
60	Hyundai Motors	Accent	1060	689
61	General Motors	Aveo Uva	1075	699
62	General Motors	Aveo Uva	1075	699
63	Maruti Suzuki	Swift Diesel	1075	699
64	Maruti Suzuki	Swift Diesel	1075	699
65	Fiat India	Grande Punto 1.2 FIRE Active	1090	709
66	Ford India	Figo	1090	709
67	Hyundai Motors	Accent Eco	1090	709
68	General Motors	Aveo 1.4	1095	712
69	General Motors	Aveo 1.4	1095	712
70	Tata Motors	Indigo CS Gasoline	1095	712
71	Tata Motors	Indigo CS MPFI	1095	712
72	Tata Motors	Vista Diesel - Quadrajat	1099	714
73	Honda Sael Cars	CITY 1.5 E MT / 1.5 S MT / 1.5 V MT	1100	715
74	SkodaAuto India	Fabia -1.2/51 kW MPI	1101	716
75	Tata Motors	Indigo CS Diesel - 1.4 Dicor	1101	716
76	Tata Motors	Indigo Diesel - 1.4 Dicor	1101	716
77	Maruti Suzuki	Dzire Diesel	1105	718
78	Maruti Suzuki	Dzire Diesel	1105	718
79	Hyundai Motors	i20 1.4 A/T	1106	719
80	Maruti Suzuki	Ritz Diesel	1110	722
81	Fiat India	Grande Punto 1.4 FIRE	1115	725
82	Tata Motors	Indigo Diesel - TCIC	1115	725
83	Tata Motors	Indigo CS Diesel - TCIC	1115	725
84	Mahindra Renault	Logan GLX 1.4	1128	733
85	Mahindra Renault	Logan GLX 1.4	1128	733

86	Mahindra Renault	LOGAN GLX 1.4 - BS4	1128	733
87	Mahindra Renault	LOGAN GLX 1.4 - BS4	1128	733
88	Fiat India	Grande Punto 1.3 Multijet Active	1130	735
89	Ford India	Fiesta	1130	735
90	Ford India	Figo	1130	735
91	Tata Motors	Indigo Manza Safire	1131	735
92	Tata Motors	Indigo CS Dicolor	1135	738
93	Tata Motors	Vista Quadrajt	1136	738
94	Tata Motors	Vista Diesel - TCIC	1137	739
95	Fiat India	Grande Punto 1.2 FIRE Active	1140	741
96	Tata Motors	Manza Safire90	1140	741
97	Fiat India	Grande Punto 1.4 FIRE	1145	744
98	Volkswagen India	Polo 1.2 CR	1145	744
99	Ford India	Fiesta Sport	1149	747
100	Ford India	Fiesta	1150	748
101	Hyundai Motors	Verna	1152	749
102	Honda Siel Cars	CITY 1.5 S AT / CITY 1.5 V AT	1155	751
103	Mahindra Renault	LOGAN DSL 1.5	1165	757
104	Mahindra Renault	Logan DSL 1.5	1165	757
105	SkodaAuto India	Fabia -1.4/51 kW TDI	1168	759
106	Hyundai Motors	i20 1.4	1170	761
107	Hyundai Motors	i20 1.4	1170	761
108	Fiat India	Linea Active	1180	767
109	Fiat India	Grande Punto 1.3 Multijet Active	1190	774
110	Maruti Suzuki	SX4 - MT	1200	780
111	Maruti Suzuki	SX4 - MT	1200	780
112	Tata Motors	Indigo Manza Quadrajt	1201	781
113	Tata Motors	Manza Quadrajt90	1207	785
114	Fiat India	Linea Multijet Active	1210	787
115	Honda Siel Cars	CIVIC 1.8 S MT / CIVIC 1.8 V MT	1210	787
116	Maruti Suzuki	SX4 - AT	1210	787
117	Hyundai Motors	Verna	1225	796
118	Hyundai Motors	Verna	1225	796
119	General Motors	Optra Magnum 1.6	1230	800
120	General Motors	Optra Magnum 1.6	1230	800
121	Hyundai Motors	Verna A/T	1237	804
122	Hyundai Motors	Verna A/T	1237	804
123	Fiat India	Linea Active	1240	806
124	Honda Siel Cars	CIVIC 1.8 V AT	1240	806
125	Toyota	Corolla Altis 1.8 J	1240	806
126	Toyota	Corolla Altis 1.8 G	1240	806
127	Toyota	Corolla Altis 1.8 V	1260	819
128	Toyota	Corolla Altis 1.8 G (AT)	1260	819
129	Maruti Suzuki	SX4 CNG	1275	829
130	Volkswagen India	New Beetle 2.0 (AT) - CBU	1280	832

131	Fiat India	Linea MultiJet Active	1290	839
132	Honda Siel Cars	CIVIC HYBRID	1290	839
133	VW	Jetta (MT) 1.6 - CKD	1319	857
134	VW	Jetta (MT) 1.6 - CKD	1319	857
135	SkodaAuto India	Octavia -1.8/110kW	1323	860
136	SkodaAuto India	Octavia -1.9/66kW TDI	1330	865
137	General Motors	Optra Magnum TCDi	1381	898
138	General Motors	Optra Magnum TCDi	1381	898
139	SkodaAuto India	Laura -1.8/118kW TSI - MT	1385	900
140	Volkswagen India	Jetta (MT) 1.9 TDI - CKD	1394	906
141	Toyota	Prius - ZVW30R-AHXEBW	1395	907
142	SkodaAuto India	Laura -1.8/118kW TSI - AT	1405	913
143	Daimler, AG	SLK200 Kompressor	1418	922
144	SkodaAuto India	Laura -2.0/81kW TDI CR - MT	1420	923
145	Volkswagen India	Jetta (MT) 2.0 TDI - CKD	1420	923
146	Daimler, AG	SLK350	1430	930
147	Toyota	Camry - ACV40R-AEMNKW	1450	943
148	BMW	3 Series - 320i	1465	952
149	SkodaAuto India	Laura -2.0/103kW TDI CR - AT	1465	952
150	Volkswagen India	Jetta (AT) 1.9 TDI - CKD	1468	954
151	Toyota	Camry - ACV40R-AEANKW	1470	956
152	Honda Siel Cars	CR-V RVI MT	1475	959
153	Mercedes-Benz	C200 K Automatic	1490	969
154	Volkswagen India	Passat (MT) 1.8 TSI - CKD	1492	970
155	Honda Siel Cars	Accord 2.4 MT	1500	975
156	Mercedes-Benz	C200 K Automatic	1505	978
157	Nissan	TEANA	1506	979
158	Hyundai Motors	Sonata	1510	982
159	BMW	3 Series - 320d	1520	988
160	BMW	Z4 sDrive35i	1525	991
161	General Motors	Cruze MT	1525	991
162	General Motors	Cruze MT	1525	991
163	Honda Siel Cars	Accord 2.4 AT	1525	991
164	Volkswagen India	Passat (MT) 2.0 CRDI - CKD	1528	993
165	SkodaAuto India	Superb -1.8/118kW TFSI - MT	1533	996
166	Volkswagen India	Passat (AT) 2.0 CRDI - CKD	1550	1007
167	Mercedes-Benz	C250 Automatic	1560	1014
168	Mercedes-Benz	C230 Automatic	1560	1014
169	Mercedes-Benz	C200 CGI	1560	1014
170	Honda Siel Cars	CR-V RVS MT	1565	1017
171	Toyota	Innova 2.0 E (M)	1565	1017
172	Toyota	Innova 2.0 G (M)	1565	1017
173	Toyota	Innova 2.0 V (M)	1565	1017
174	SkodaAuto India	Superb -1.8/118kW TSI - AT	1567	1019
175	Nissan	X TRAIL MT	1569	1020

176	BMW	3 Series - 330i	1570	1021
177	Daimler, AG	E 350 Coupé	1570	1021
178	Mercedes-Benz	C220 CDI Automatic (OM 646 engine)	1570	1021
179	Mercedes-Benz	C220 CDI Automatic (OM 651 engine)	1575	1024
180	Skoda/Auto India	Superb -2.0/103kW TDI CR - AT	1575	1024
181	BMW	5 Series - 520d	1590	1034
182	General Motors	Cruze AT	1595	1037
183	General Motors	Cruze AT	1595	1037
184	Honda Siel Cars	CR-V RVSi AT	1595	1037
185	BMW	5 Series - 530i	1604	1043
186	BMW	5 Series - 525i	1605	1043
187	Hyundai Motors	Sonata	1614	1049
188	Maruti Suzuki	Grand Vitara MT	1614	1049
189	Maruti Suzuki	Grand Vitara MT	1614	1049
190	Nissan	X TRAIL AT	1618	1052
191	Daimler, AG	SLS AMG	1620	1053
192	Volkswagen India	Passat (AT) 2.0 TDI - CKD	1620	1053
193	Honda Siel Cars	Accord 3.5 V6 AT	1635	1063
194	Hyundai Motors	Sonata AT	1636	1063
195	Maruti Suzuki	Grand Vitara AT	1636	1063
196	Maruti Suzuki	Grand Vitara AT	1636	1063
197	Mercedes-Benz	E 220 CDI	1640	1066
198	BMW	6 Series - 650i Coupe	1650	1073
199	BMW	M Series M3 Coupe (Manual)	1655	1076
200	BMW	M Series M3 Coupe (M DCT)	1655	1076
201	Daimler, AG	C 63 AMG	1655	1076
202	Daimler, AG	CLS 350	1655	1076
203	Toyota	Innova 2.5 E (M)	1655	1076
204	Toyota	Innova 2.5 V(M)	1655	1076
205	Toyota	Innova 2.5 G(M)	1655	1076
206	General Motors	Tavera	1665	1082
207	Mahindra & Mahindr	Xylo E8 m-Eagle CRDe 4WD 8 Seater	1667	1083
208	Mahindra & Mahindr	Xylo E8 m-Eagle CRDe 2WD 8 Seater	1667	1084
209	Mahindra & Mahindr	Bolero BS3 Mico 2WD	1670	1086
210	BMW	5 Series - 530d	1675	1089
211	Toyota	Innova 2.5 E (M4)	1675	1089
212	Toyota	Innova 2.5 G(M4)	1675	1089
213	Toyota	Innova 2.5 V(M4)	1675	1089
214	Mercedes-Benz	C250 CDI Automatic	1677	1090
215	Mercedes-Benz	E 230	1680	1092
216	Mercedes-Benz	E 280	1685	1095
217	Daimler, AG	E 350 Cabriolet	1690	1099
218	Force Motors	Trax Judo	1690	1099
219	Mahindra & Mahindr	Bolero VLX 2WD - BS 4	1692	1100
220	Mahindra & Mahindr	Bolero VLX 2WD 7 Seater	1696	1102

221	National Cars & Moto	Rhino Rx TCIC DI BS III	1710	1112
222	Mahindra & Mahindr	MaXX BS2	1720	1118
223	Mercedes-Benz	E350 Automatic	1732	1126
224	Mercedes-Benz	E250 Automatic	1736	1128
225	National Cars & Moto	Rhino Rx CRD-Fi BS IV	1737	1129
226	Daimler, AG	CL.S350 CDI	1740	1131
227	National Cars & Moto	Rhino Rx CRD-Fi BS III	1750	1138
228	SkodaAuto India	Superb -3.6/191kW TFSI - AT	1750	1138
229	Mercedes-Benz	E 280 CDI	1755	1141
230	Daimler, AG	CL.S500	1760	1144
231	Tata Motors	Sumo	1767	1149
232	Tata Motors	Spacio SP 2B	1768	1149
233	BMW	M Series M6 Coupe	1785	1160
234	BMW	X3 xDrive25i SAV	1790	1164
235	General Motors	Captiva MT	1790	1164
236	General Motors	Captiva MT	1790	1164
237	Tata Motors	Spacio SP TC	1794	1166
238	Force Motors	Trax Judo	1800	1170
239	Mahindra & Mahindr	Scorpio LX 2.2 Hawk 4WD (w/o microhybrid)	1800	1170
240	Mahindra & Mahindr	Scorpio LX 2.2 Hawk 2WD	1800	1170
241	Mercedes-Benz	E250 CDI	1800	1170
242	BMW	X3 xDrive20d SAV	1825	1186
243	Mercedes-Benz	E350 CDI	1825	1186
244	Mercedes-Benz	E 350 CDI	1825	1186
245	Mahindra & Mahindr	Xylo F6 m-Falcon CRDe 2WD 8 Seater BS3	1829	1189
246	Tata Motors	Sumo	1832	1191
247	BMW	M Series M5	1855	1206
248	BMW	6 Series - 650i Convertible	1860	1209
249	Ford India	Endeavour - MT 2.5L	1879	1221
250	Daimler, AG	S 350L	1880	1222
251	BMW	M Series M3 Convertible (Manual)	1885	1225
252	Force Motors	Trax 4 X 4	1900	1235
253	BMW	M Series M3 Convertible (M DCT)	1905	1238
254	General Motors	Captiva AT	1920	1248
255	Mahindra & Mahindr	Scorpio LX Hawk AT- 4WD	1923	1250
256	Mahindra & Mahindr	Scorpio LX 2.2 Hawk AT 4WD	1923	1250
257	Mahindra & Mahindr	Scorpio LX 2.2 Hawk 4WD	1923	1250
258	Mercedes-Benz	S350 L Automatic (Facelift)	1925	1251
259	Mercedes-Benz	S350 L Automatic (Pre-facelift)	1925	1251
260	Tata Motors	Sumo Grande MKII	1933	1256
261	Tata Motors	Sumo Grande	1943	1263
262	Toyota	Fortuner - 3.0L4WD MT	1955	1271
263	BMW	7 Series - 730 Ld	1975	1284
264	BMW	7 Series - 750 Li	1980	1287
265	Mercedes-Benz	S320 CDI (Pre-facelift)	2000	1300

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय मैमोरन्डम संख्या:-RT-23013/8/
2022-T, दिनांक 17 दिसम्बर 2022 No. RT-23013/8/2022-T

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Transport Section
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001

17th December, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Process for scrapping of Govt vehicles older than 15 years through MSTC Portal - reg.

The undersigned is directed to refer to Department of Expenditure OM No. 01(18)2022 - E. II (A) dt 09.12.2022 (copy enclosed) and state that Voluntary Vehicle Fleet Modernization Program (V-VMP) or 'Vehicle Scrapping Policy' aims to create an eco-system to reduce pollution, improve road passengers and vehicular safety, improve fuel efficiency, reduce maintenance cost for the vehicle owners, move on towards circularity and have a bigger multiplier effect on economy. Successful implementation of this policy requires establishment of a network of Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSFs) and Automated Testing Stations (ATs) across the country.

2. It has been decided that Government vehicles which are older than 15 years and owned by Government of India and its Ministries/ Departments, State/ UT Governments and their Departments, Local Government institutions, State Transport Undertakings, Public Sector Undertakings, and Autonomous Bodies with the Government of India and State Governments shall be scrapped immediately in order to achieve policy objectives. In this regard, Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), vide GSR 845(E) dated 24th November 2022, has issued a draft notification prohibiting renewal of registration of Government owned vehicles older than 15 years, w.e.f. 1st April 2023. All condemned vehicles (including vehicles which have been prematurely condemned) are required to be scrapped through RVSFs.

3. In order to facilitate seamless scrapping of such vehicles, it is proposed that the e-auction platform developed by Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) which is a Mini Ratna Company-I PSU under the administrative control of Ministry of Steel, be used to conduct e-auction of such vehicles. RVSFs which have been commissioned as per provisions of MoRTH Notification GSR 653 (E) dated 23rd September 2021 shall only be allowed to participate in the auction. This would support operations of existing RVSFs by providing them with a base volume of end-of-life vehicles and would also encourage private investment in establishing new RVSFs.

4. The details of the proposed mechanism for scrapping of Government-owned vehicles through e-auction on MSTC portal is provided in Annexure-I. The necessary instructions shall be issued to MSTC by Ministry of Steel in this regard.

5. This issues with the approval of Competent Authority.

Encl: As above

Shashi
17/12/22
(Shashi Bhushan)

Under Secretary to the Government of India

To

1. Secretaries of all Union Ministries and Departments
2. Chief Secretaries of all State/ UT Governments

Copy to:

1. CEO, NITI Aayog
2. Secretary, Department of Expenditure


Proposed mechanism for e-auction of Government-owned vehicles through MSTC Portal

Union/ State Government to use portal developed by Metal Scrap Trading Corporation (MSTC) for e-auction of condemned vehicles to RVSF. In order to expedite the scrapping of condemned vehicles, Union/ State Governments may directly engage with MSTC to conduct e-auction. The detailed procedure for e-auction of vehicles through this portal is provided below:


1. Union Ministries/Departments and State Governments to share details of condemned vehicles (including vehicle type, model, vintage, image, etc.) with MSTC.
2. Union Ministries/Departments and State Governments to conduct valuation of vehicles through valuers appointed by them or empaneled by MSTC and finalize the reserve price and tolerance %
3. Union Ministries/ Departments and State Governments or MSTC to enter reserve price and associated tolerance % into MSTC portal before the launch of e-auction.
4. MSTC to form e-auction lots based on vehicle details, location of vehicles etc. and develop an e-auction catalog. Auction notification containing details of e-auction starting date, list of vehicles, location, ownership etc. will be sent to RVSFs. Such scrapping is to be done in accordance with the procedure as prescribed in Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules 2021.
5. e-Auction is then launched on MSTC portal.
6. Prospective bidders would be allowed to conduct on-site inspection of vehicles to assess fair value of the e-auction lot. High quality images may be included in auction catalog to reduce the requirement of physical inspection since the RVSFs may not have enough capacity to conduct physical inspection over a short period of time.
7. Interested bidders to deposit a pre-bid earnest money deposit (EMD) or Standing Security Deposit, as prescribed by MSTC, to become eligible for bidding. After depositing EMD or Standing Security deposit, bidders to submit their bid on MSTC portal.
8. e-Auction is to be closed at a pre-determined time. An e-auction is deemed successful if the highest bid value is more than the reserve price or within the tolerance threshold and is cancelled if the highest bid is lower than the tolerance of reserve price set by the seller. If an e-auction is cancelled for the first time, then the Competent Authority may put up the lot for re-auction after adjusting the reserve price based on market response. However, if the auction is cancelled again then the lot could be awarded to MSTC at the reserve price, this would be at the discretion of the Competent Authority.
9. Auto-generated notification is sent to the highest bidder and the seller.
10. Highest bidder (RVSF) would then transfer the bid amount to MSTC via RTGS/NEFT/Net Banking etc. as per e-auction catalog. MSTC to issue a digitally signed Delivery/Sale Order upon confirmation of payment.
11. Highest bidder (RVSF) to pick up the vehicles for scrapping and hand over a 'Certificate of Deposit' to MSTC through the Vahan RVSF module as per the process specified in rule 10 sub-rule 1 of GSR 653 (E) dated 23rd September 2021 and its amendment vide GSR 695 (E) dated 13th September 2022.
12. De-registration of vehicles to be done by RVSF as per the process specified in rule 10 sub-rule 1 of GSR 653 (E) dated 23rd September 2021 and its amendment vide GSR 695 (E) dated 13th September 2022.
13. MSTC to transfer bid amount to Union Ministries/Departments and State Governments along with the 'Certificate of Deposit'.

Annexure-2:

A. Current mechanism to e-auction Government-owned vehicles through MSTC portal



B. Proposed mechanism (along with at maximum timeline for each step) to e-auction Government-owned vehicles through MSTC portal



Shashi
17/12/22

/139071/2023

- एमएसटीसी पोर्टल पर विभागों के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं नीलामी का कार्यप्रवाह
1. ऑनलाइन नीलामी हेतु प्रत्येक कार्यालय स्तर पर www.mstcecommerce.com वेबसाइट पर Principal/Seller के अन्तर्गत पृथक-पृथक यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड सृजित किए जाएंगे।
 2. पोर्टल पर पंजीकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारी का ई-मेल आईडी0 आवश्यक है। पोर्टल पर पंजीकरण हेतु विभागीय ई-मेल आईडी0 का ही उपयोग किया जाय।
 3. नीलामी प्रक्रिया के फलस्वरूप एमएसटीसी द्वारा प्राप्त धनराशि को विभागीय खाते में हस्तान्तरित किया जाएगा।
 4. पोर्टल पर नीलामी सामग्री के क्रय हेतु क्रेता का पंजीकरण ऑनलाइन रूप में कभी भी किया जा सकता है, इस हेतु क्रेता को एमएसटीसी द्वारा निर्धारित शुल्क भुगतान करना होगा। एक बार पंजीकरण के उपरान्त उक्त क्रेता द्वारा किसी भी सामग्री के लिए नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।
 5. किसी नीलामी के प्रारम्भ करने हेतु Principal/Seller के द्वारा एमएसटीसी से ई-ऑक्शन नम्बर प्राप्त किया जाएगा और उक्त नम्बर के आधार पर नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। प्रत्येक नीलामी प्रक्रिया हेतु Principal/Seller के द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ भी अनिवार्य रूप से अंकित/फीड की जाएंगी-
 - (1) नीलामी प्रारम्भ एवं समाप्त होने की तिथि एवं समय
 - (2) नीलामी हेतु प्रस्तावित सामग्री के निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय
 - (3) नीलामी हेतु प्रस्तावित सामग्री का विवरण
 - (4) प्रस्तावित सामग्री का न्यूनतम आरक्षित मूल्य
 - (5) प्रत्येक सामग्री/लॉट की ऑनलाइन नीलामी हेतु बोली लगाये जाने की अवधि न्यूनतम तीन घंटे निर्धारित की जाएगी।
 6. यदि किसी नीलामी के अन्तर्गत किसी बोलीदाता द्वारा अन्तिम समय में बोली लगाई जाती है तो नीलामी बन्द होने का समय स्वतः आठ मिनट बढ़ जाएगा और इसी प्रकार अधिकतम 05 बार तक 8-8 मिनट के अन्तराल पर बढ़ता रहेगा।
 7. नीलामी की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली स्वतः ही अनुमोदित हो जाएगी और यदि यह बोली न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक है तो इस आशय का पत्र भी स्वतः सृजित होगा और सम्बन्धित बोली दाता के ई-मेल आईडी0 पर प्रेषित हो जाएगा।
 8. सफल बोलीदाता द्वारा अवशेष धनराशि सफल घोषित किए जाने के 07 दिवस के अन्दर जमा कराई जाएगी। उक्त धनराशि एमएसटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा की जाएगी।
 9. एमएसटीसी द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त धनराशि में से एमएसटीसी को देय सर्विस चार्ज (तीन प्रतिशत) काटकर शेष धनराशि परिवहन विभाग के नीलामीकर्ता अधिकारी द्वारा इस हेतु खोले गए सम्बन्धित खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।
 11. नीलामीकर्ता अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही पूर्ववत् सम्पन्न की जायेगी।

-----XXX-----